



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062021-227644
CG-DL-E-16062021-227644

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2182]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 16, 2021/ज्येष्ठ 26, 1943

No. 2182]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 16, 2021/JYAISHTHA 26, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2021

का.आ. 2346(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2021 है।
(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के, उप-नियम (3) के, खंड (घ) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि कोविड-19 महामारी के कारण, इस खंड के प्रयोजन के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 में समाप्त होने वाले अधिसूचना की विधि मान्यता की अवधि को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाया जाएगा या महीने के अंत से छह महीने तक जब सुसंगत अधिसूचना बिना किसी विस्तार के समाप्त हो जाती, जो भी बाद में हो।"

[फा. सं. 25/03/2010-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गडकोटी, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पणः मूल नियम संख्यांक का.आ. 844 (अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4367(अ), तारीख 3 दिसंबर, 2020 को अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2021

S.O. 2346(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amendments in the Environment (Protection) Rules, 1986, namely: —

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in rule 5, in sub-rule (3), in clause (d), for the proviso the following shall be substituted, namely:-

“Provided that on account of COVID-19 pandemic, for the purpose of this clause, the period of validity of the notification expiring in the financial year 2020-2021 and 2021-2022 shall be extended up to 31st December, 2021 or six months from the end of the month when the relevant notification would have expired without any extension, whichever is later.”.

[F.No. 25/03/2010-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist ‘G’

Note: The principal rules were published *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and was last amended *vide* notification number S.O. 4367 (E), dated the 3rd December, 2020.